बी.पी.ए.ई.-141

सूचना का अधिकार

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ,
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

विशेषज्ञ समिति

प्रो. सी. वी. राघवुलु
पूर्व कुलपति,
नागार्जुन विश्वविद्यालय
गुंटूर, आंध्र प्रदेश

प्रो. रमेश के. अरोड़ा
पूर्व प्रोफेसर, लोक प्रशासन,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

प्रो. ओ पी मिनोचा
पूर्व प्रोफेसर, लोक प्रशासन,
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली

प्रो. अरविन्द के. शर्मा
पूर्व प्रोफेसर, लोक प्रशासन,
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली

प्रो. आर. के. सप्रू
पूर्व प्रोफेसर, लोक प्रशासन,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

प्रो. साहिब सिंह भयाना
पूर्व प्रोफेसर, लोक प्रशासन,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

प्रो. बी. बी. गोयल,
पूर्व प्रोफेसर, लोक प्रशासन,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ

प्रो. रवीन्द्र कौर
लोक प्रशासन विभाग
उसमानिया विश्वविद्यालय,
हैदराबाद

प्रो. सी. वैंकय्या,
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त
विश्वविद्यालय, हैदराबाद

प्रो. जी. पलनिथुराई
राजनीति विज्ञान एवं विकास
प्रशासन विभाग,
गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय,
गांधीग्राम

प्रो. रमनजीत कौर जोहल
यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन
लर्निंग, पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़

प्रो. राजबंस सिंह गिल,
लोक प्रशासन विभाग,
पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला

प्रो. मंजूशा शर्मा,
लोक प्रशासन विभाग,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

प्रो. लालनी हीज़ोवी
लोक प्रशासन विभाग,
मिज़ोरम सेन्ट्रल विश्वविद्यालय
आइज़ोल

प्रो. निलिमा देशमुख
पूर्व प्रोफेसर, लोक प्रशासन,
राष्ट्रसंत टुकादोजी महाराज
नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

प्रो. राजवीर शर्मा
पूर्व वरिष्ठ सलाहकार,
लोक प्रशासन संकाय,
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू,
नई दिल्ली

प्रो. संजीव कुमार महाजन
लोक प्रशासन विभाग,
हिमाचर प्रदेश विश्वविद्यालय,
शिमला

प्रो. मनोज दीक्षित
लोक प्रशासन संकाय,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रो. सुधा मोहन
नागरिक व राजनीति विभाग
मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई

इग्नू संकाय
प्रो. प्रदीप साहनी
प्रो. ई. वायुनंदन
प्रो. उमा मेडूरी
प्रो. अलका धमेजा
प्रो. डॉली मैथ्यू
प्रो. दुर्गेश नन्दिनी

सलाहकार
डॉ. संध्या चोपड़ा
डॉ. ए. सेंथमिल कनल

संयोजक और पाठ्यक्रम समन्वयक
प्रो. डॉली मैथ्यू
प्रो. दुर्गेश नन्दिनी

अनुवाद पुनरीक्षक
प्रो. दुर्गेश नन्दिनी
डॉ. संध्या चोपड़ा
श्रीमती चित्रलेखा

अनुवादक
श्रीमती प्रतिभा रानी

पाठ्यक्रम समन्वयक और सम्पादक	पाठ्यक्रम संपादक
प्रो. दुर्गेश नन्दिनी सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ इग्नू, नई दिल्ली	प्रो. जयतिलक गुहा रॉय पूर्व प्रोफेसर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली

बी.पी.ए.ई. 141: सूचना का अधिकार

पाठ्यक्रम निर्माण दल

खंड / इकाई	शीर्षक	लेखक / अनुवादक
खंड I	**सूचना का अधिकार : एक परिचय**	
इकाई 1	सूचना का अधिकारः विकास, अवधारणा, उपलब्धियाँ और सीमाएँ	प्रो. (डॉ.) प्रीति मिश्रा, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, मानवाधिकार विभाग, विधि अध्ययनपीठ, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
खंड II	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**	
इकाई 2	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : एक अवलोकन	प्रो. (डॉ.) प्रीति मिश्रा, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, मानवाधिकार विभाग, विधि अध्ययनपीठ, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
इकाई 3	सूचना का अधिकार नियम	
इकाई 4	केंद्रीय सूचना आयोग	
इकाई 5	राज्य सूचना आयोग	
खंड III	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन : मुद्दे और चुनौतियाँ**	
इकाई 6	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व : मुद्दे और चुनौतियाँ	डॉ. सपना चड्ढा, सहायक प्रोफेसर, प्रशासनिक और संविधानिक, विधि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
इकाई 7	केंद्रीय सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त और लोक प्राधिकारियों की भूमिका : अपेक्षाएँ एवं बाध्यताएं	
इकाई 8	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : जिला स्तर पर कार्यान्वयन में बाध्यताएँ	डॉ. राजवीर एस. ढाका, वरिष्ठ संकाय सदस्य, लोक प्रशासन संस्थान, गुरूग्राम, हरियाणा
इकाई 9	मीडिया की भूमिका	प्रो. (डॉ.) प्रीति मिश्रा, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, मानवाधिकार विभाग, विधि अध्ययनपीठ, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
इकाई 10	नागरिक समाज संगठनों की भूमिका	
खंड IV	**सूचना के अधिकार के माध्यम से सुशासन की**	

	ओर : पहल और प्रभाव	
इकाई 11	शासन के लिए सूचना के अधिकार का महत्व	डॉ. राजवीर एस. ढाका, वरिष्ठ संकाय सदस्य, लोक प्रशासन संस्थान, गुरूग्राम, हरियाणा
इकाई 12	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय : सूचना का अधिकार प्रवर्तन को सुगम बनाने के साधन	डॉ. सपना चड्ढा, सहायक प्रोफेसर, प्रशासनिक और संविधानिक विधि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
इकाई 13	सर्वोत्तम पद्धतियाँ और सफलताः पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के प्रयास	
इकाई 14	सामाजिक लेखा परीक्षा	प्रो. दुर्गेश नन्दिनी, लोक प्रशासन संकाय, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 15	सूचना का अधिकारः अधिकारों और उनके प्रवर्तन के बीच अंतराल घटाना	प्रो. (डॉ.) प्रीति मिश्रा, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, मानवाधिकार विभाग, विधि अध्ययनपीठ, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

Formatting of References -	**ग्राफिक्स/आवरण**	**सचिवीय सहायक**
डॉ. ए. सेंथमिल कनल	आर.के. ऐन्टरप्राइसिस	श्रीमती कांता रावत

जुलाई, 2021

© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2020

ISBN: सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफी (चक्र मुद्रण) द्वारा अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी नई दिल्ली–110068 से अथवा इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ द्वारा मुद्रित और प्रकाशित।

लेज़र टाइप सेट– ग्राफिक प्रिंटर्स, मयूर विहार फेस 1, दिल्ली – 110091

मुद्रण –

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना

खंड I	**सूचना का अधिकार : एक परिचय**
इकाई 1	सूचना का अधिकारः विकास, अवधारणा, उपलब्धियाँ और सीमाएँ
खंड II	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**
इकाई 2	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : एक अवलोकन
इकाई 3	सूचना का अधिकार नियम
इकाई 4	केंद्रीय सूचना आयोग
इकाई 5	राज्य सूचना आयोग
खंड III	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन : मुद्दे और चुनौतियाँ**
इकाई 6	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व : मुद्दे और चुनौतियाँ
इकाई 7	केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और लोक प्राधिकारियों की भूमिका : अपेक्षाएँ एवं बाध्यताएं
इकाई 8	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : जिला स्तर पर कार्यान्वयन में बाध्यताएँ
इकाई 9	मीडिया की भूमिका
इकाई 10	नागरिक समाज संगठनों की भूमिका
खंड IV	**सूचना के अधिकार के माध्यम से सुशासन की ओर : पहल और प्रभाव**
इकाई 11	शासन के लिए सूचना के अधिकार का महत्व
इकाई 12	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय : सूचना का अधिकार प्रवर्तन को सुगम बनाने के साधन
इकाई 13	सर्वोत्तम पद्धतियाँ और सफलताः पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के प्रयास
इकाई 14	सामाजिक लेखा परीक्षा
इकाई 15	सूचना का अधिकारः अधिकारों और उनके प्रवर्तन के बीच अंतराल घटाना
सुझाई गई पठन सामग्री (Suggested Readings)	

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

पाठ्यक्रम प्रस्तावना

सूचना के अधिकार ने सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान दिया है; और सरकार के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित किया है। सूचना के युग में, सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) ने नागरिकों को सूचना तक स्वैच्छिक पहुँच प्रदान करके भारतीय लोकतंत्र में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया है। इसलिए, सूचना का अधिकार शासन के संस्थागत को भारत में लोकतंत्र को गहरा करने की दिशा में एक दूरगामी कदम के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस ऐतिहासिक कानून ने आम नागरिकों को सरकार और उसकी एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करके शासन की प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने में सक्षम बनाया है। नागरिकों को सशक्त बनाने के अतिरिक्त, अधिनियम ने सूचना चाहने वालों को समय पर सूचना देने के लिए अधिकारियों पर जिम्मेदारी भी तय की है। इस संदर्भ में, सूचना आयोग की भूमिका कोविड–19 के दौरान विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाओं, सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। ये उपाय, लंबे समय में, भ्रष्टाचार को रोकने और सतत विकास के लिए सरकारी कार्यों में नागरिकों का विश्वास विकसित करने में योगदान देंगे।

''सूचना का अधिकार'' नामक पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों को सूचना के अधिकार के विकास से परिचित कराना है और शासन को मजबूत करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का महत्व बताना है। अध्ययन में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। यह सूचना का अधिकार प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक

साधन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों पर चर्चा करता है। कुछ सफलता की कहानियाँ और मामला अध्ययन, जिन्होंने सूचना के अधिकार के माध्यम से शासन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है, इस पाठ्यक्रम में समझाया गया है। पाठ्यक्रम को निम्नलिखित चार खंडों में और पंद्रह इकाईयों में विभाजित किया गया है।

खंड 1 सूचना का अधिकारः एक परिचय

यह BPAE 141 पाठ्यक्रम का एक परिचयात्मक खंड है, जिसका शीर्षक ''सूचना का अधिकारः एक परिचय'' है। इस ब्लॉक/खंड में, हमारा ध्यान सूचना का अधिकार के विकास और इसकी उपलब्धियों और सीमाओं पर होगा।

सूचना के अधिकार पर पहली इकाई इस पाठ्यक्रम का विकास, अवधारणा, उपलब्धियाँ और सीमाएँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों में सूचना के इतिहास और उत्पत्ति को अधिकार के रूप में उजागर करती है। यह सूचना के अधिकार के न्यायशास्त्रीय पहलू पर गौर करने की कोशिश करता है। यह विश्व की विभिन्न कानूनी प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में सूचना की अवधारणा और सूचना के अधिकार की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन सरकारी संगठनों और उसके कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा करने में लोगों के सशक्तिकरण को विशेष रूप से सेवाओं के प्रतिपादन में अंतराल का पता लगाने के लिए निष्पादित और निष्पादित नहीं किए गए कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को संदर्भित करता है। यह निष्क्रियता, उत्पीड़न, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार या सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उसके उपकरणों की ओर से सत्ता और अधिकार के दुरूपयोग के मामलों सहित चूक और दलाली के कृत्यों को भी सामने लाता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और अन्य विशिष्ट विधियों के वैधानिक प्रावधानों

की जाँच करता है, जो विभिन्न आधारों पर लोगों को जानकारी का खुलासा करने में बाधा डालते हैं।

खंड 2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

इस खंड में चार इकाईयाँ हैं। इस पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के अवलोकन से संबंधित है। यह अधिनियम के तहत प्रदान की गई सूचना का अधिकार व्यवस्था के समस्त तंत्र को देखता है। सूचना का अधिकार अधिनियम में छह (6) अध्याय और इकतीस (31) धाराएँ हैं। यह इकाई अधिनियम के पहले अध्याय पर ध्यान केंद्रित करती है, अर्थात् प्रारंभिक प्रकृति; और अधिनियम का शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ बताते हैं। धारा 2 परिभाषा खंड है, जो अधिनियम के पाठ में प्रयुक्त विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करता है। अध्याय दो सूचना के अधिकार और सूचना की आपूर्ति में लोक प्राधिकरणों के दायित्व की व्याख्या करता है। यह चर्चा करता है कि कैसे एक सूचना का अधिकार दायर किया जाता है और किस आधार पर सूचना देने से इनकार किया जाता है। अध्याय तीन और चार में दिए गए अनुसार केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना आयुक्तों की शक्तियों और कार्यो के विश्लेषण के अध्ययन पर, साथ ही अध्याय पाँच में प्रदान की गई अपील और दंड के प्रावधानों पर जोर देता है। यह अधिनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव और अधिभावी प्रभाव के सहायक प्रावधानों के साथ फाइल पर टिप्पणी लेखन और तीसरे पक्ष की जानकारी के मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है।

तीसरी इकाई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियम बनाने की शक्ति के महत्व और भूमिका का विश्लेषण करती है। किसी भी अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूचना का अधिकार (सूचना का अधिकार) नियम, 2012 के अस्तित्व में आने से पहले,

सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 केंद्रीय सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 और केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission- CIC) (प्रबंधन) विनियम, 2007 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सिद्धांतों को शासित कर रहे थे। यह इकाई सूचना का अधिकार नियम, 2012 के तहत आयोग और अधिकारियों से अपील करने के बारे में विस्तार से बताती है। यह सूचना का अधिकार के नियमों में सुधार के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की गणना करता है। समस्त भारत में शुल्क और अपील के संबंध में प्रावधानों में एकरूपता लाने के लिए सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत) नियमों और अपील प्रक्रिया नियमों में सामंजस्य भी बनाया गया था। नागरिकों को सूचना का अधिकार दाखिल करने में सुविधा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भारतीय पोस्टल ऑर्डर (e-IPO) सेवा आरंभ की गई और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भी यह सुविधा प्रदान की गई।

चतुर्थ इकाई केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में चर्चा करती है, जिसे 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रवर्तन के साथ स्थापित किया गया था। यह सूचना का अधिकार के स्तंभों में से एक है, जिस पर सूचना का अधिकार शासन खड़ा है। केन्द्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक अपीलीय प्राधिकारी है; यह एक अर्ध–न्यायिक निकाय है, जिसके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ/अधिकार है। यह इकाई केंद्रीय सूचना आयोग के अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ–साथ सी आई सी के संविधान, शक्तियों और कार्यों को संदर्भित करती है। शिकायतों, अपीलों को प्राप्त करने और जुर्माना लगाने की इसकी शक्ति भी बताई गई है। हाल ही में सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 को संबंधित RTI, नियम 2019

के साथ अधिनियमित किया गया है। 2019 के ये संशोधन और नियम मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में उल्लेखनीय परिवर्तन लाए हैं। यह इकाई इन परिवर्तनों पर प्रकाश डालती है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इकाई केन्द्रीय सूचना आयोग के कामकाज में अंतदृष्टि देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा तय किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है। अंत में, अध्ययन इस बात को स्वीकार करते हुए सी आई सी का मूल्यांकन करके इस तथ्य को सामने लाता है कि हाल के दिनों में सूचना चाहने वालों को न्याय देने में इसकी कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है।

इस खंड की अंतिम इकाई राज्य सूचना आयोग के अध्ययन पर जोर देती है। राज्य सरकारों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उप–धारा के प्रावधानों के तहत राज्य सूचना आयोग की स्थापना करना अनिवार्य है। राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के भीतर एक अपीलीय प्राधिकरण है, दीवानी न्यायालयों की शक्तियों के साथ यह एक अंर्ध–न्यायिक निकाय है। यह इकाई अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ–साथ राज्य सूचना आयोग की संरचना, शक्तियों और कार्यों को संदर्भित है। लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार आवेदक को वांछित जानकारी की आपूर्ति में चूक के मामले में राज्य सूचना आयोग के पास शिकायतें, अपील और जुर्माना लगाने की शक्ति है। सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 और संबंधित सूचना का अधिकार, 2019 के नियम ने मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में परिवर्तन किए हैं। इस इकाई में विभिन्न राज्य सूचना आयोग की आधिकाधिक वेबसाइटों से नवीनतम जानकारी शामिल है, ताकि इन आयोगों के कामकाज और गतिविधियों को प्रकट किया जा सके। अध्ययन इस सुझाव के साथ राज्य सूचना आयोग का

मूल्यांकन करके समाप्त होता है कि शासन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के साथ इसके प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है।

खंड 3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन : मुद्दे और चुनौतियाँ

इस खंड में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन पर जानकारी शामिल है, जिसे निम्नलिखित पाँच इकाईयों (इकाई 6–10) में विभाजित किया गया है। छठी इकाई में मुख्य ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के मुद्दों और चुनौतियों पर होगा। अध्ययन प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही की अवधारणा की व्याख्या करता है, और प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में सूचना का अधिकार अधिनियम की भूमिका का विश्लेषण करता है। अंत में, यह प्रशासनिक दक्षता, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

अगली इकाई नागरिकों की अपेक्षाओं और केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोगों और लोक प्राधिकरणों की प्रभावी भूमिका और प्रदर्शन में बाधाओं पर बल देती है। अध्ययन में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में लोक प्राधिकरणों से अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में लोक प्राधिकरणों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन करता है, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों के सामने आने वाली चुनौतियों की जाँच करता है।

आठवीं इकाई में जिला स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की जाँच करता है। यह इकाई भारत में जिला प्रशासन के

संरचनात्मक और कार्यात्मक आयामों पर केंद्रीत है; सहभागी शासन में सूचना का अधिकार व्यवस्था के महत्व का वर्णन करती है; सूचना का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं और कमियों पर प्रकाश डालती है। जिला स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को सामने लाती है और अंत में मार्ग अवरोधों को हटाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देती है और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आगे के रास्ते का भी सुझाव देती है।

नौवीं इकाई उद्देश्य सूचना का अधिकार के माध्यम से शासन में मीडिया की भूमिका और महत्व का विश्लेषण करना है। यह इकाई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू करने में मीडिया के योगदान को भी पहचानती है। यह दर्शाती है कि सूचना का अधिकार कानून मीडिया को सरकार के विभिन्न अंगों में प्रचलित ''विकृतियों और दोषों को उजागर करने में कैसे सहायता करता है, और जनता के बीच विभिन्न मुद्दों पर संवेदनशीलता लाने के लिए मीडिया द्वारा निभाई गई भूमिका, जिसका उनके सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन इस बात पर विचार करता है कि कैसे सूचना का अधिकार अधिनियम अदालती कार्यवाही और संसदीय प्रक्रियाओं तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता करता है, और प्रासंगिक जानकारी के लिए विभिन्न सरकारी संस्थानों से कैसे संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही इकाई सूचना का अधिकार के माध्यम से सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उजागर करने में मीडिया की भूमिका का भी विश्लेषण करती है। यह लोगों को न्याय दिलाने में अपनी बाधाओं और चुनौतियों को सामने लाती है। अध्ययन से पता चलता है कि ठोस प्रयासों और संयम के साथ मीडिया सूचना का अधिकार व्यवस्था को सही मायने में लाने में सहायता कर सकती है।

इस खंड की अंतिम इकाई विकासशील परिस्थितियों में नागरिक समाज संगठनो की भूमिका की जाँच करती है, जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया। अध्ययन में बहुत ही उल्लेखनीय गैर–राजनीतिक सामाजिक–कानूनी आंदोलनों पर प्रकाश डाला गया, जो नए विधायी अधिनियम लाए। साथ ही भारत के लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किए। यह विशेष रूप से मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS), लोगों के सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (National Campaign for People's Right to Information-NCPRI) और उसके सहयोगियों के साथ–साथ भ्रष्टाचार के विरूद्ध अन्ना हजारे के धर्मयुद्ध की ऐतिहासिक भूमिका का विस्तार से विश्लेषण करता है। यह इकाई भारत सरकार, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative) (CHRI), उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र (Consumer Education and Research Centre- CERC) के पदाधिकारियों और अन्य छोटे समूहों द्वारा भारत में सूचना का अधिकार कानून लाने में निभाई गई भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित करती है। यह इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि कानून बनाने के लिए सभी प्रभावित और संभावित हितधारकों के हितों को शामिल करते हुए जागृत नागरिकों द्वारा किए गए ठोस और निरंतर प्रयास मार्गदर्शक बल के रूप में कार्य करते हैं।

खंड 4 सूचना के अधिकार के माध्यम से सुशासन की ओर : पहल और प्रभाव

अंतिम लेकिन कम से कम, खंड में पाँच इकाईयाँ हैं, अर्थात् शासन के लिए सूचना का अधिकार का महत्व, सूचना का अधिकार प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय, सफलता की कहानियाँ, जो कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की प्राप्ति करने के प्रयासों

को, सरकार, सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और अधिकारों और उनके प्रवर्तन के बीच के अंतर को कम करने में सूचना का अधिकार और सामाजिक लेखा परीक्षा की भूमिका को उजागर करती है। इस पाठ्यक्रम की दसवीं इकाई सूचना के अधिकार को प्राप्त करने में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका पर बल देती है। अध्ययन भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति की जाँच करता है, कानून बनाने में नागरिक समाज की भूमिका का विश्लेषण करता है; सूचना के अधिकार के विकास और कार्यान्वयन में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका को दर्शाता है; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियम ने सरकार की पहल पर प्रकाश डालता है और शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मूल्य को सामने लाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह भारत में औपचारिक रूप से सूचना का अधिकार को मान्यता दिलाने में लोगों के समूहों द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका पर विचार करता है।

सूचना का अधिकार एक व्यापक कोड है, जो सुशासन सुनिश्चित करना चाहता है। इसके महत्व को ग्यारवीं इकाई के अध्ययन से समझा जा सकता है, जो भारत में सूचना का अधिकार की आवश्यकता, शासन में मुद्दों, शासन में सूचना का अधिकार के महत्व और भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की पृष्ठभूमि और विकास की स्पष्ट समझ से संबंधित है।

बारहवीं इकाई उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों पर प्रकाश डालती है, जो सूचना का अधिकार प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक साधन के रूप में प्रकाशित हुए। इस संबंध में, सूचना का अधिकार से संबंधित महत्वूर्ण निर्णयों पर केंद्रित है; और न्यायपालिका द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या का विश्लेषण करता है।

इस इकाई में सफलता की कहानियाँ हैं जो हितधारकों और नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के लिए प्रयास को प्रेरित करती है।

तेरहवीं इकाई में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कुछ प्रमुख मुद्दों से संबंधित केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भारत में अच्छी प्रथाओं को संकलित करता है। इकाई में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाई जा रही कुछ अच्छी प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया है। यह उक्त प्रयासों के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित लोक प्राधिकरणों द्वारा लाभों, परिणामों और प्रशिक्षित कार्यों को भी सामने लाएगा।

यह अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न स्तरों पर सफलतापूर्वक कार्यान्वित सूचना का अधिकार से संबंधित कुछ अच्छे कार्यों पर प्रकाश डाला गया है:

क) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग;

ख) विशिष्ट सरकारी योजनाओं– विशेष रूप से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) (MGNREGA) और लोक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) (PDS) तक हाशिए की आबादी की पहुँच में सुधार के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी उपयोग;

ग) सूचना का अधिकार अधिनियम के स्वप्रेरणा से प्रावधानों का कार्यान्वयन; तथा

घ) जागरूकता पैदा करने सहित अन्य अच्छे कार्य।

सामाजिक लेखा परीक्षा पर चौदहवीं इकाई, भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा के अर्थ, उद्देश्यों और महत्व; चयनित योजनाओं में सामाजिक लेखा परीक्षा की भूमिका, सामाजिक लेखा परीक्षा में प्रक्रिया और महत्वपूर्ण कदम; सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने में प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ, राज्यों में सामाजिक लेखा परीक्षा का अभ्यास, और अभिनव प्रथाएँ जिन्हें अन्य राज्यों में दोहराया जा सकता है और प्रभावी सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए विचार पर केंद्रित है। सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में, टीम के सदस्यों को योजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न सरकारी दस्तावेजों तक पहुँच की आवश्यकता होती है; और लाभार्थियों के लिए प्रावधान की। चूकिं सामाजिक लेखा परीक्षा तथ्य खोज है। अर्थात् प्रमाणों और दस्तावेजों पर आधारित है, इसलिए अधिकारी वर्ग के दुर्भावनापूर्ण योजनाओं के कारण दस्तावेजों की अनुपलब्धता के मामले में, सूचना का अधिकार के माध्यम से वांछित दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार भ्रष्ट आचरण के विरूद्ध एक उपकरण है; और सामाजिक लेखा परीक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पंद्रहवी इकाई में अध्ययन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में समस्याओं, कमियों, अंतराल की जाँच करता है। यह अधिनियम में ही कमियों की पहचान करता है, जो खराब कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, लोक अधिकारियों का उदासीन व्यवहार सूचना के अधिकार की प्राप्ति में रूकावटें पैदा करता है। इकाई सरकार की पहल और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नागरिक समाज संगठनों की भूमिका पर केंद्रित है। यह द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2006 की पहली रिपोर्ट की सिफारिशों का विश्लेषण करती है, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण ठीक से लागू नहीं किया जा सका। यह सरकार, सूचना चाहने वालों, लोक प्राधिकरणों, सूना आयोगों,

नागरिक समाज संगठनों मीडिया और कार्पोरेट क्षेत्र जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न हितधारकों के बारे में चर्चा करता है। अंतिम भाग में, यह कई उपायों का सुझाव देता है, जो सूचना का अधिकार के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के बीच के अंतर को कम करने के लिए और इसकी प्रवर्तनीयता के लिए उठाए जा सकते हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 1 सूचना का अधिकारः विकास, अवधारणा, उपलब्धियां और सीमाएं*

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 सूचना का अधिकारः विकास

1.3 सूचना का अधिकारः अवधारणात्मक विश्लेषण

1.4 सूचना का अधिकारः उपलब्धियां

1.5 सूचना का अधिकारः सांविधिक सीमाएं

1.6 मूल्यांकन

1.7 निष्कर्ष

1.8 शब्दावली

1.9 संदर्भ लेख

1.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आपः

* योगदान : प्रो. (डॉ.) प्रीति मिश्रा, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, मानवाधिकार विभाग, विधि अध्ययनपीठ, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

- सूचना के अधिकार की उत्पत्ति और विकास की चर्चा कर सकेंगे;
- सूचना के अधिकार की अवधारणात्मक उत्पत्ति और दार्शनिक आधार की व्याख्या कर सकेंगे;
- सूचना के अधिकार और सूचना की स्वतंत्रता के बीच अंतर कर सकेंगे;
- सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में सूचना के अधिकार के महत्त्व और सुशासन के लिए इसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों का वर्णन कर सकेंगे;
- सूचना के अधिकार पर लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों को उजागर कर सकेंगे; और
- सूचना के अधिकार के उद्देश्यों को साकार करने के लिए आवश्यक उपाय सुझा सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

लोकतांत्रिक समाजों में, सूचना आम जनता के हाथों में शक्ति है। लोकतंत्र खुलेपन की अपेक्षा करता है और खुलापन मुक्त समाज का सहवर्ती है। खुलापन तभी संभव है जब लोगों द्वारा ''जानने के अधिकार'' का प्रयोग किया जा सके। लोकतंत्र में लोग संप्रभु होते हैं, उन्हें यह जानने का अधिकार होता है, कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। इसलिए एक सच्ची लोकतांत्रिक सरकार के पारदर्शी और जवाबदेह कामकाज के लिए सूचना अनिवार्य है। यह दुर्व्यवहार, कुप्रबंधन और भ्रष्ट प्रथाओं के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह सरकार के लिए भी लाभप्रद है, क्योंकि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता सरकारी कार्यों में नागरिकों के विश्वास को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। 177 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व, अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति, जेम्स मैडिसन ने

कहा था, ''लोकप्रिय जानकारी या इसे प्राप्त करने के साधनों के बिना, एक लोकप्रिय सरकार, एक मज़ाक या त्रासदी या शायद दोनों के लिए एक प्रस्तावना है। ज्ञान हमेशा के लिए अज्ञान पर शासन करेगा और जो लोग अपने स्वयं के शासक होने का अर्थ रखते हैं, उन्हें अपने आप को उस शक्ति से सज्जित करना चाहिए जो ज्ञान देता है।'' (पैल में उल्लिखित, एडवर्ड लिविंगस्टन को लिखा गया पत्र, 2009)

भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता चार अलग–अलग धारणाएं हैं, हालांकि, यह एक दूसरे से संबंधित है। ''यद्यपि वे समान चीजों से संबंधित है, परन्तु समान नहीं है।'' (मार्टिन राईडर में उल्लिखित ''मीडिया लॉ; 2006) भाषण की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की अपने विचारों को व्यक्त करने और संप्रेषित करने की क्षमता।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में स्वतंत्र भाषण के कई मूल तत्व शामिल है। इसकी अधिक व्यापक और विस्तृत धारणा में, बोलने, लिखने, प्रिंट करने और प्रकाशित करने की स्वतंत्रता शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संकेतों के माध्यम से विचारों या विचारों का संचार भी शामिल हो सकता है। सूचना की स्वतंत्रता–भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बहुत भिन्न है। सूचना की स्वतंत्रता का अर्थ है, राज्य के अधिकारियों के अधिकार में सूचना तक पहुँच प्राप्त करने की व्यक्ति की क्षमता। यह व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने राज्य अतीत, वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाए। ''सूचना तक पहुँच'' और ''सूचना की स्वतंत्रता'' वाक्यांशों का पर्यायवाची रूप से उपयोग किया गया है। इस इकाई में हम सूचना के अधिकार के विकास और अवधारणा, अधिकार के न्यायशास्त्रीय पहलू

और इसके दर्शन पर चर्चा करेंगे। हम अधिनियम की उपलब्धियों और सीमाओं का भी सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करेंगे।

1.2 सूचना का अधिकारः विकास

सूचना के अधिकार के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए, 1946 में अपने प्रथम सत्र में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प/प्रस्ताव 59(1) को अपनाया, जिसमें कहा गया था, ''सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है और सभी स्वतंत्रताओं की कसौटी है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र ज्ञान देता है।'' इसके पश्चात्, विश्वभर की सरकारें अपनी गतिविधियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा रही थी। विश्वभर के पचास से अधिक देशों ने सरकारी निकायों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड तक पहुँच की सुविधा के लिए सूचना अधिनियम या सूचना के अधिकार अधिनियमों की व्यापक स्वतंत्रता को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आधुनिकीकरण, भ्रष्टाचार और घोटालों, सूचना के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता आदि जैसे विभिन्न कारक इस लहर के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

वाक्यांश सूचना की स्वतंत्रता की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, यूएस उच्चतम न्यायालय ने सूचना के उपयोग के अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान में प्रथम संशोधन की व्याख्या की। उस समय तक, सूचना के अधिकार की व्याख्या केवल परोक्ष रूप से भाषण की स्वतंत्रता और प्रेस के माध्यम से जनता के जानने के अधिकार की गारंटी देने के लिए की जाती थी (Aroopagita, 2009)। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना के अधिकार का पता संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) बनाम द प्रोग्रेसिव इंक (467F Supp. 990 (1979)) और न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी बनाम यू.एस. (403 U.S. 713 (1971)) के मामलों के माध्यम से लगाया जा सकता है–

जिसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीश रॉबर्ट डब्ल्यू वॉरेन ने एक लेख के प्रकाशन के विरूद्ध प्रारंभिक निषेधाज्ञा दी थी। यह कहते हुए कि ''निषेधाज्ञा (जनता के) जानने और सूचित किए जाने के अधिकार का उल्लंघन करेगा''। न्यायाधीश वारेन ने निष्कर्ष निकाला कि ''इस न्यायालय का कोई व्यावहारिक कारण नहीं मिल सकता है कि जनता को इस मुद्दे पर एक सूचित बहस/वाद–विवाद करने के लिए हाइड्रोजन बम निर्माण के बारे में तकनीकी विवरण जानने की आवश्यकता क्यों है''। हालांकि, स्वीडन पहला देश था, जिसने 1766 में सूचना की पहुँच के अधिकार को सुनिश्चित किया था। सूचना के सबसे पुराने स्वतंत्रता कानून को प्रेस अधिनियम की स्वीडिश स्वतंत्रता कहा जाता है, हालांकि, इसके प्रावधानों तक पहुँच के अधिकार प्रेस तक ही सीमित नहीं है। सूचना का अधिकार शेष विश्व में दो शताब्दियों के बाद ही प्रस्तुत किया गया था।

एक खुली सरकार की अवधारणा प्रत्यक्ष रूप से जानने के अधिकार से निकलती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) गारंटीकृत बोलने/वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित है। सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, सरकार के कामकाज के संबंध में जानकारी के प्रकटीकरण का नियम होना चाहिए। गोपनीयता को केवल एक अपवाद के रूप में उचित ठहराया जा सकता है, जहां जनहित की यथातथ्य आवश्यकता की इतनी मांग है। न्यायालय गोपनीयता की सुरक्षा को केवल जनहित की आवश्यकता के आधार पर संतुष्ट कर सकते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रकटीकरण भी लोक हित का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्त करने और उसे प्रसारित करने का अधिकार शामिल है। स्व–अभिव्यक्ति के लिए यह आवश्यक है, जो कि

स्वतंत्र अंतःकरण और आत्मपूर्ति का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। यह लोगों को सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर वाद–विवाद में योगदान करने में सक्षम बनाता है। किसी भी चीज का सबसे उचित मॉडल खोजने का यह सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि केवल इसके माध्यम से ही विचारों की व्यापक संभव सीमा प्रसारित हो सकती है। यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक राजनीतिक विमर्श का एकमात्र माध्यम है। बोलने/वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता के बदले प्रसारित करने का अधिकार और इस तरह के प्रसार की मात्रा निर्धारित करने का अधिकार भी शामिल है।

सूचना का अधिकार निर्विवाद रूप से एक मौलिक अधिकार है। सरबजीत शर्मा और कृष्ण गोपाल के अनुसार, ''सूचना का अधिकार सामाजिक कल्याण का एक आवश्यक साधन है। वे बताते हैं, कि यह अधिकार समाज में कई सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सूचना का अधिकार भी आवश्यक है, सिर्फ एक उदाहरण उद्धृत करने के लिए नागरिक समाज समूहों के लिए मुठभेड़ हत्या या निवारक निरोध कानून के दुरूपयोग जैसे गलत कामों की निगरानी करना आसान बनाता है। भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS), सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (National Campaign for People's Right to Information- NCPRI), भारतीय प्रेस परिषद (Press council of India) (PCI) और अन्य लोगों द्वारा एक राष्ट्र व्यापक अभियान ने सूचना के अधिकार की मांग को जन्म दिया। जब संसद ने सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 पारित किया तो इसे कानून ने प्रकाश के रूप में देखा। यह पहली बार था, इस अधिकार को भारत की विधायिका द्वारा मान्यता दी गई थी, लेकिन यह एक कानून नहीं बन सका, क्योंकि इसे सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005,

जिसने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को प्रतिस्थापित किया, भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून और सामाजिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण विकास है। यह कहा जा सकता है, कि 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम, ''संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे के एक भाग के रूप में सरकार के विरूद्ध लोगों के जानने के अधिकार को उपलब्ध कराने के संवैधानिक मानदंड का केवल विधायी कार्यान्वयन है'' (विस्तृत अध्ययन के लिए इकाई 10 का खंड 3 देखें)।

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, अधिनियमित किया, जिसे सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कानूनों में से एक माना जाता है। यह सरकार से नागरिकों के सूचना के अधिकार के संबंध में सभी नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करता है, तथा उसकी प्रमाणिक फोटोकॉपी मांगता है। 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों को समय पर उत्तर देना अनिवार्य करता है। सूचना का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों का एक भाग है। अनुच्छेद 19(1) निर्दिष्ट करता है, कि प्रत्येक नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत का अप्रवासी (Non-Resident Indians- NRI) है, सूचना का अधिकार दायर कर सकता है। यह धारा 370 के निरसन (सरकारी आज्ञा या निर्णय को रद्द करना) के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य सहित समस्त भारत में फैली हुई है।

यह लोगों के सूचना के अधिकार को मान्यता देता है, जिसे कई न्यायिक घोषणाओं द्वारा हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन एक

ऐतिहासिक कदम है, इसने गोपनीयता और नियंत्रण की संस्कृति को पारदर्शिता और भागीदारी के साथ प्रतिस्थापित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम न केवल केंद्र और राज्य सरकारों को सम्मिलित करता है, बल्कि जमीनी स्तर अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों के लोकतांत्रिक निकायों और संस्थानों को भी शामिल करता है, जो सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रदान करता है। अधिनियम प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर जनता को स्वतः सूचना प्रदान करने और उसके पास उपलब्ध दस्तावेजों की श्रेणियों सहित संगठन से संबंधित विभिन्न विवरणों को प्रकाशित करने का दायित्व भी डालता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 'सूचना' को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है, किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो (ज्ञापन), ई–मेल, राय, परामर्श, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, कार्यपंजी, अनुबंध, रिपोर्ट (विवरण) दस्तावेज और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए नमूने, मॉडल और डेटा सामग्री शामिल है। इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी भी शामिल है, जिसे लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी अन्य कानून के तहत कुछ समय के लिए लागू किया जा सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार– 'सूचना का अधिकार' का अर्थ है ''इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार, जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है और इसमें निम्न अधिकार शामिल है–

i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

ii) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणियाँ, सार या प्रमाणित प्रतियाँ लेना;

iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

iv) डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहाँ ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य पत्र (डिवाइस) में संग्रहीत है।

सूचना तक पहुँच को प्रायः ''लोकतांत्रिक समाज के लिए ऑक्सीजन'' कहा जाता है। नागरिक अपने सूचना के अधिकार के प्रति धीरे–धीरे जागरूक हो रही हैं। इस अधिनियम का उपयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों को उसके तरीके के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है, जिसमें वे सार्वजनिक धन खर्च करते हैं। इस प्रकार, कानून से अधिक, सूचना का अधिकार अधिनियम एक प्रक्रिया, उपकरण, अवधारणा और जीवन के लिए एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है।

1.3 सूचना का अधिकारः अवधारणात्मक विश्लेषण

व्युत्पत्ति के अनुसार, ''सूचना'' शब्द लैटिन शब्द 'फॉर्मेशन' और 'फॉर्मा' से लिया गया है, जिसका अर्थ है ''क्रमशः किसी चीज को आकार देना और एक प्रतिरूप बनाना। भाषण वाक् और अभिव्यक्ति से संबंधित मामला होने के नाते, 'सूचना' को कुछ ऐसा कहा जाता है, जो विचारों में अस्पष्टता को दूर करती है और हमारी जागरूकता में कुछ नया जोड़ता है''।

ई.वेस्टरमार्क ने अनुभव किया कि ''जंगली लोगों और सभ्य राष्ट्रों के बीच नैतिक विचार के सभी महत्त्वपूर्ण अंतर ज्ञान या तथ्यों की अज्ञानता पर निर्भर करते हैं।'' जे. फिनिस ने व्यक्त किया कि ''मनुष्य के लिए आवश्यक सात वस्तुएं हैं और उनमें से एक ज्ञान है।'' फ्रांसिस बेकन ने बहुत पहले कहा था कि ''ज्ञान वह शक्ति है, जो सूचना से आती है।'' इसी तरह, डेसकार्टेस द्वारा प्रतिपादित

ज्ञान का सिद्धांत ''संदेह की विधि'' पर आधारित है। उनकी ''संदेह की विधि पूर्व–समझती है, कि डेटा और जानकारी संदेह के स्पष्टीकरण के लिए ज्ञान प्राप्त करता है, जो किसी के पास है। जब तक हमारे पास जानकारी तक पहुँच नहीं है, हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ज्ञान के बिना कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता है।'' जॉन लोक, जो एक अनुभववादी थे, इस बात से सहमत नहीं थे कि ''मनुष्य एक दिव्य प्राणी है, जिसके पास इस दुनिया में आते समय पूर्व निर्धारित विचार हैं। एक अनुभववादी के रूप में उनका मानना था कि ज्ञान अनुभव का उत्पाद है। उसके लिए किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को उसक अनुभव से अलग नहीं किया जा सता है। उनका विचार था कि मनुष्य एक खाली दिमाग के साथ पैदा होता है। जन्मजात विचार और नैतिक उपदेश जैसी कोई चीज नहीं होती है। शून्य से आरंभ होकर, मानव मन पांच मानव इंद्रियों के उपयोग और प्रतिबिंब की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। मनुष्य का खाली दिमाग उस प्राप्त जानकारी से भर जाता है और प्राप्त जानकारी के आधार पर वह व्याख्या करता है। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है वे सही या गलत का न्याय नहीं कर सकते क्योंकि उनका दिमाग उचित रूप से पोषित नहीं हो सकता। इस कारण से मानव मन को समृद्ध करने के लिए जानकारी आवश्यक है।''

जॉन मिल्टन ने अपनी किताब ''एरियोपैगिटिया'' (Areopagitia) में कुछ तर्क विकसित किए है, जो सूचना के अधिकार के दार्शनिक आधार को समझने के लिए मूल्यवान है। मिल्टन का विचार था कि ''लाइसेंसिंग (अनुज्ञापन) आदेश संभवतः अपने पसंदीदा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। सत्य प्रबल है और नियंत्रक की अनिवार्य सहायता के बिना और भी प्रबल होगा। वह कहते हैं, कि सत्य ''सर्वशक्तिमान'' के इर्द–गिर्द प्रबल है। मिल्टन के ब्रह्मांड में सत्य को नियत समय में प्रबल माना जाता है। ''एरियोपैगिटिया'' सीखने के महत्त्व और

गरिमा की प्रशंसा करता है। वह सत्य को सबसे धनी उत्पाद कहते है। इसी तरह, उन्होंने धर्म निरपेक्ष ज्ञान के कई रूपों को महत्त्व दिया जो सूचना के विभिन्न स्रोतों से आते हैं। उनका मानना था कि प्रत्येक नागरिक को अपनी सोच पर संप्रभुता। राजकीय सत्ता का उपयोग करना चाहिए और उस सोच का उपयोग समाज को सक्रिय करने और अपने नेता को जवाबदेह ठहराने में करना चाहिए। (J.Hocke, Two Treaties of Civil Government, cited in Mahajan, 2000)

जॉन स्टुर्अमिल का लेखन भी सूचना के अधिकार का समर्थन करता है। उनके लेखन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ''मन को पोषित करने के लिए जानकारी या संसाधनों के बिना कोई भी किसी चीज को सही या गलत नहीं आंक सकता है। ''मिल ने अपनी पुस्तक ''on liberty'' में तर्क दिया है कि ''एक व्यक्ति को अपने विरोधियों के विचारों को अधिक कल्पना और समझ के साथ जानने का प्रयास करना चाहिए, जितना कि वह स्वयं को जानने के लिए समर्पित करता है''(John Stuart Mill, On liberty reproduced in Morris, 1971)। थॉमसन इमर्सन ने 'चर्चा की भूमिका' के बारे में भी बात की। उनका विचार था कि ''विचारों का दमन दृढ़ता को बढ़ावा देता है और तर्क के लिए बल को प्रतिस्थापित करता है।'' (Emerson, 1976) मैडिसन के लेखन में खुलेपन का शक्तिशाली तर्क भी मिलता है। (Barlaw, 1994) उनका विचार था कि ''लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी के लिए सूचित प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है। सूचित भागीदारी तभी संभव है जब सूचना तक पहुँच हो। सरकार में अत्यधिक गोपनीयता नागरिकों को सूचित किए जाने की संभावना को कम करती है, जो सार्थक भागीदारी के लिए बाधा उत्पन्न करती है।''

जनमत के आधार पर न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए जनमत अनिवार्य है। सूचना द्वारा निर्मित जनता के विचार केवल लोकतंत्र की आत्मा है। जनमत और सूचना तक पहुँच के बीच बहुत अच्छा संबंध है। यदि सूचना तक पहुँच नहीं है, तो जनमत प्रभावी नहीं हो सकता क्योंकि सूचना मानव मन के लिए टॉनिक (औषधि) है और इसके अभाव में मानव मन प्रभावी विचार नहीं बना सकता है। बार्लो जॉन, 1994 ने भी सूचना की अवधारणा को बहुत शानदार ढंग से विकसित किया। उन्होंने जानकारी की अवधारणा निम्न प्रकार से कीः

क) सूचना एक गतिविधि है;

ख) सूचना एक जीवन रूप है; और

ग) सूचना एक संबंध है।

''सूचना एक गतिविधि है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है, जो दिमाग और वस्तुओं या सूचना के अन्य टुकड़ों के बीच बातचीत के क्षेत्र में होता है। यह मानव मन में उत्पन्न होता है और चलायमान होता है।''

ए.टॉफलर का विचार है कि ''सूचना प्रचार द्वारा व्यक्त की जाती है, लेकिन वितरण द्वारा नहीं''। इसी तरह, ''सूचना में कुछ विशेषताएं होती हैं, जो इसे एक जीवित प्राणी के साथ तुलनीय बनाती हैं। सूचना एक के बाद एक उत्तर देती है और जीवित प्राणी की तरह परिवर्तन चाहती है।'' समय बीतने के साथ सूचना का मूल्य कम हो जाता है और अंत में यह सामान्य रूप से कृषि उत्पादों की तरह समाप्त हो जाती है। इसी तरह ''सूचना एक संबंध है क्योंकि इसका मूल्य है। इसलिए, हम कहते हैं कि सूचना पैसा है। सूचनात्मक दुनिया में अधिकांश पैसा एक और शून्य में है। सूचना आधुनिक संपदा के निर्माण के लिए उतनी ही

मौलिक हो गई है, जितनी कभी भूमि और सूर्य का प्रकाश हुआ करती थीं''। (Hoffler, 1981)

सॅडने डी राइडर सूचना का अधिकार सूचना तक पहुँच है। (Ryder, 2006) रॉडसी के अनुसार, ''सूचना तक पहुँच को राज्य के अधिकार में जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।'' वे कहते हैं, कुछ राज्य अपने संविधान और कानूनों में पहुँच प्रदान करते हैं, कई नहीं। यहाँ तक कि जहाँ पहुँच को मान्यता दी गई है, वह हमेशा सीमाओं के अधीन है।

''सूचना शक्ति है'' सबसे सामान्य कहावतों में से एक रही है। दूसरी ओर, पर्याप्त और सटीक जानकारी का अभाव अर्थव्यवस्थाओं का विनाश कर सकता है, सरकारों को अपंग बना सकता है और समाजों को कमजोर बना सकता है। यह सैन्य शक्ति या आर्थिक समृद्धि नहीं है, जिसे एक मजबूत राष्ट्र के संकेतक के रूप में माना जा सकता है, बल्कि यह राष्ट्र के सुशासन पर निर्भर करता है। शासन का अर्थ उन नियमों, प्रक्रियाओं और व्यवहार से है, जो शक्तियों के प्रयोग के तरीकों को प्रभावित करते हैं। सुशासन को मजबूत करने वाले सिद्धांत खुलापन, भागीदारी, जवाबदेही, प्रभावशीलता और सुसंगतता है। यदि लोगों को अच्छी तरह से सूचित किया जाएगा, तो वे अधिक सतर्क रहेंगे और इसलिए, लोकतंत्र अधिक जीवंत हो जाएगा। सरकारी सूचनाओं तक पहुँच लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए एक शर्त है, जिसके माध्यम से आम लोग सरकारी अधिकारियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण का प्रयोग कर सकते हैं। निष्पक्ष, मुक्त लोक प्रशासन और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के लिए सूचना एक महत्त्वपूर्ण तत्व है। यह केवल लोगों को अधिकारिक सूचना प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लोगों की जानकारी को कम करने

का अर्थ है, सरकार में उनकी भागीदारी को कम करना जैसा कि जेफरसन ने कहा, ''लोगों को सूचना सरकार का सबसे निश्चित और वैध इंजन है। जब कोई सरकार जनता पर विश्वास करना अस्वीकार कर देती है, तो लोग बदले में सरकार से अपना भरोसा वापस ले लेंगे। वास्तविक अर्थों में, लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार की आवश्यकता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उन पर शासन कौन करता है और उन्हें कैसे शासित किया जा रहा है। ''आधुनिक लोकतंत्र ने सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयुक्त मूल्यवान अवधारणाएं और उपकरण दिए हैं। संवैधानिक आदर्शों से प्रेरित कई विशिष्ट विधानों ने सरकार की कल्याणकारी विचारधारा में योगदान दिया है और सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व किया है। लोगों की इच्छा और निश्चित कानून आधार द्वारा समर्थित सूचना के अधिकार की अवधारणा ने लोगों को सुशासन की दिशा में सामाजिक परिवर्तन के लिए सशक्त बनाया है।

बोध प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) भारत में सूचना के अधिकार की उत्पत्ति की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) सूचना के अधिकार की अवधारणा पर चर्चा कीजिये तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.4 सूचना का अधिकारः उपलब्धियां

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य न्यूनतम छूट के साथ अधिकतम प्रकटीकरण सुनिश्चित करना है। अपने संक्षिप्त और सुस्पष्ट निर्माण के कारण अधिनियम बहुत प्रभावशाली रहा है। प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सभी को केवल इतना करना है, कि लिखित में अनुरोध करना है, क्योंकि कोई निश्चित प्रोफार्मा की आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम शुल्क का भुगतान करें और मांगी गई जानकारी का विवरण निर्दिष्ट करें। धारा 6 की उप–धारा (2) विशेष रूप से कहती है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले एक आवेदक को सूचना या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण का अनुरोध करने के लिए कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि उसे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। अधिनियम लोक क्षेत्र में कई दस्तावेज और विवरण लाए है, जो अन्यथा फाइलों में बंडल के तौर पर बंधे रह जाते। इसने कई मुकदमों को संरचित और मजबूत किया है और कई सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं को जन्म दिया है। इसके कार्यान्वयन के 15 वर्षों में, कागजों की रीलों की फोटोकॉपी की गई है और सूचना का अधिकार उपकरण के माध्यम से नागरिकों तक पहुँची है (Megha, 2021)। सूचना का अधिकार की उपलब्धियों को संक्षेप में निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है।

- **सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम**

सूचना का अधिकार सामाजिक लेखा परीक्षा का एक साधन है। यह निष्पादित कार्यों और सेवाओं के प्रावधानों में अंतराल का पता लगाने के लिए धरातल पर प्रचलित जानकारी प्राप्त करके सरकारी संगठनों को सामाजिक लेखा परीक्षा करने का अधिकार देता है। यह सरकार के विभिन्न विभागों, इसके स्थानीय

निकायों, स्वायत्त संगठनों और गैर–सरकार संगठनों सहित सरकार के स्वामित्व वाले या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित अन्य संस्थानों की ओर से निष्क्रियता, उत्पीड़न, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार या सत्ता और अधिकार के दुरूपयोग के मामलों सहित चूक और आयोगों के कृत्यों को भी सामने लाता है।

- **सामाजिक परिवर्तन का साधन**

किसी भी समाज में एक जागरूक नागरिक द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। सूचना का अधिकार एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, सार्वजनिक महत्त्व के विभिन्न मुद्दों पर लिए गए निर्णयों को लोक प्राधिकरणों के अधिकार में रखकर खोला जा सकता है। ''सूचना का अधिकार न केवल एक मानव अधिकार है बल्कि लोकतंत्र का एक आवश्यक उपकरण भी है''। (Union of India vs., Association for Democratic Reforms 200 5SCC 294; People's Union for Civil Liberties (PUCL) vs. Union of India (2003) 4 SCC 399)। यह भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरूपयोग से निपटने में सहायता करता है। यह जवाबदेही और पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन लाता है और इस प्रकार लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करता है। न्यायपालिका ने 'प्रेस की स्वतंत्रता को सामाजिक और राजनीतिक बातचीत का केंद्र माना है और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में एक निश्चित भूमिका निभाई। न्यायपालिका ने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करके सूचना का अधिकार के सामाजिक आयाम को सामने लाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक महत्त्वपूर्ण आदेश में, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने पति की आय के बारे में जानकारी मांगने वाली पत्नी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। सूचना आयुक्त ने उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों पर विश्वास करते हुए जहां यह माना

गया था कि पत्नी यह जानने की अधिकारी है कि उसके पति को क्या पारिश्रमिक मिल रहा है, आयकर प्राधिकरण को अपीलकर्ता पत्नी को उसके पति की शुद्ध आय का ''सामान्य विवरण'' प्रदान करने का निर्देश दिया है। सी आई सी ने देखा कि ''एक मुकदमें में, जहां शामिल मुद्दा पत्नी के रखरखाव का है, वेतन विवरण से संबंधित जानकारी अब पति और पत्नी दोनों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी तक ही सीमित नहीं रहती है, जो पति के पास उपलब्ध है अंततः वह पत्नी द्वारा प्राप्य है।''

आयोग ने हालांकि, ''अपीलकर्ता द्वारा अपने पति के आयकर रिटर्न की प्रतियों आदि के बारे में मांगी गई जानकारी को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित थी, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत प्रकट नहीं किया जा सकता है।'' (Indian express Newspapers vs. Union of India (1985) ISCC 641: AIR 1986 SC 515, Union of India Motion Picture Assn. 1996 SCC 150)

- **घोटालों और विसंगतियों को उजागर करना**

  आदर्श सोसायटी घोटाला : 1999 शहीद कारगिल युद्ध की विधवाओं के लिए छह मंजिला इमारत आदर्श हाउसिंग सोसायटी नामक 31 मंजिला में परिवर्तित हो गई। कोलाबा में मुंबई के पोस्ट आवासीय क्षेत्र में स्थित शीघ्र ही राजनेताओं, नौकरशाहों और शेष सैन्य अधिकारियों का निवास बन गया। इसका खुलासा सूचना के अधिकार कार्यकर्ता सिमप्रीत सिंह और योगाचार्य आनंद ने किया। उजागर करने से पता चला कि भूमि का टुकड़ा राज्य सरकार का नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय संघ का है और इसका समापन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्वण के इस्तीफे के रूप में हुआ।

एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) द्वारा दिल्ली तोड़–फोड़: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में काम कर रहे, गैर सरकारी संगठन ''परिवर्तन'' ने सूचना का अधिकार के द्वारा मांग की, कि एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) द्वारा तोड़–फोड़ की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो। ''विध्वंस'' की परिभाषा के बारे में एक भ्रम की ओर इशारा करते हुए परिवर्तन ने कहा, कि जहाँ कुछ संरचनाओं को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा था, वहां दूसरी ओर अन्य को मामूली क्षति के साथ छोड़ दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, एमसीडी द्वारा आवासीय परिसर के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग के विरूद्ध की गई कार्रवाई एक समान नहीं लगती थी। जबकि, कुछ संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें कुछ बड़े शोरूम सहित अन्य को केवल सीलबंदी के साथ छोड़ दिया गया था। सूचना के अधिकार में पूछा गया था कि ऐसे निर्णयों का कौन से दिशा–निर्देश का अभाव आगे भ्रष्टाचार के लिए एक उपजाऊ आधार हो सकता है। एम.सी.डी. (MCD) को इन सभी मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को ये संपूर्ण जानकारी जानने का अधिकार है।

(सूचना का अधिकार की उपलब्धियों का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए खंड 2 की इकाई 4 और 5 का अध्ययन कीजिए)

बोध प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सूचना के अधिकार की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारतीय समाज से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आधार पर कुछ सफलता की कहानियों का उल्लेख कीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 सूचना का अधिकार : सांविधिक सीमाएं

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्ययन से यह सामान्य अवलोकन है किसी को भी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाना

चाहिए, जो लोक हित की रक्षा करने और लोक प्राधिकरण की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हो। अध्ययन से यह भी स्पष्ट है, कि सक्रिय प्रकटीकरण नीति, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के भार को कम करती है और यह वास्तव में किसी भी देश के सामान्य हित में इसे अधिक प्रभावशाली और सहायक बनाने में बहुत सहायक है। लेकिन अध्ययन से यह भी पता चला है, कि कुछ ऐसी छूटें हैं, जहां जानकारी का खुलासा करना प्रतिबंधित है और लोग इसे प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि इससे देश के राष्ट्रीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार, लोक प्राधिकरण की सूचना के अधिकार और सक्रिय प्रकटीकरण नीति के संबंध में विभिन्न कानूनों के तहत विशेष प्रावधान किए गए है।

यहां हम उन प्रावधानों का पता लगाएगें और उन पर प्रकाश डालेंगे जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और संविधान में दी गई छूटों के अतिरिक्त लोक प्राधिकरण द्वारा जानकारी का खुलासा करने पर प्रतिबंध लगाते हैं।

- **संविधान का अनुच्छेद 19(2)**

सूचना का अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रकाशन का अधिकार और सूचना का अधिकार शामिल है। एक नागरिक को इनमें से किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। मौलिक अधिकार को केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए बनाए गए कानून के तहत उचित प्रतिबंधों द्वारा सीमित किया जा सकता है। प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के लिए है। प्रतिबंध को सही ठहराने का भार प्राधिकरण पर है। सार्वजनिक

व्यवस्था लोक सुरक्षा के समान नहीं है और इसलिए बोलने/वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर, इस आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है कि लोक सुरक्षा खतरे में है। अमेरिकी संविधान के विपरीत, मौलिक अधिकारों की सीमाओं को विशेष रूप से हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत वर्णित किया गया है। (Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India V. Cricket Association of Bengal, (1995) 2 SCC 161:AIR 1195 SC 1236)

सूचना के प्रकट किए जाने से छूटः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को विशिष्ट प्रकार की सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी जो सूचना प्राप्त करने के अधिकार को सीमित करता है। धारा 8 का गैर प्रकटीकरण खंड नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के कर्त्तव्य से लोक प्राधिकरणों को आजाद करता है। धारा 8 अधिनियम का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है और अधिकारियों के लिए जानकारी के अनुरोध को अस्वीकार करना बहुत आसान है यदि यह छूट के किसी भी लंबे, सामान्य और अस्पष्ट खंड के अंतर्गत आता है। यह खंड सामान्य है और इसकी व्याख्या किसी भी तरह से की जा सकती है। उपधारा (1) प्रकटीकरण के लिए विशिष्ट छूटों को सूचीबद्ध करता है, अर्थात् ऐसी जानकारी जिसे अनुरोधकर्ता अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है। उपधारा (2) जानकारी के प्रकटीकरण में तब छूट प्रदान करती है, जब प्रकटीकरण में लोक हित संरक्षित हितों की हानि से अधिक हाते हैं। उपधारा (3) रिकॉर्ड के दिए गए संग्रह के लिए दस छूटों में से सात के संचालन को 20 वर्षों तक सीमित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी सरकारों के साथ संबंध, संसदीय

और विधायी विशेषाधिकार और कैबिनेट दस्तावेजों से संबंधित छूट अनिश्चितकाल के लिए लागू होती है। धारा (8) के आधार पर निम्नलिखित नियम अंकित है।

नियम के साथ धारा 8 का संपूर्ण पाठ नीचे दिया गया हैः

धारा 8(1) इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी नागरिक को देने का कोई दायित्व नहीं होगाः

क) सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, कार्यनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा;

ख) सूचना, जिसे किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से अदालत का अपमान निर्मित हो सकता है;

ग) सूचना, जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा;

घ) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को हानि होगी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक लोक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देता है;

ड.) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक लोक हित को ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्कता है;

च) विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना;

छ) सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होगा या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के साधन की पहचान होगी;

ज) सूचना जो जाँच या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी;

i) मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट कागजातः

- बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय उसके कारण और जिस सामग्री के आधार पर निर्णय लिए गए थे, उस निर्णय को लेने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा और मामला पूरा हो गया या समाप्त हो गया हैः
- बशर्ते कि वे मामले जो इस धारा में विस्तृत छूटों के अंतर्गत आते है, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

झ) सूचना जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी लोक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता हैः

- बशर्ते कि जिस सूचना को संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और न ही उपधारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी भी छूट के होते हुए भी, एक लोक प्राधिकरण सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में लोक हित संरक्षित हितों के लिए हानि से अधिक है।

3) उपधारा (1) के खंड (क) (ग) और (i) के प्रावधानों के अधीन, किसी भी घटना, प्रसंग या मामले से संबंधित कोई भी जानकारी जो 20 वर्ष पूर्व घटित हुई या हुई हो, जिसे धारा 6 के तहत समय से पूर्व कोई अनुरोध किया जाता है, उस धारा के तहत अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को सूचना प्रदान की जाएगी:

- बशर्ते कि जिस दिनांक से 20 वर्ष की उक्त अवधि की गणना की जानी है, उसके बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो इस अधिनियम में प्रदान की जाने वाली सामान्य अपीलों के अधीन, केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

- **अध्यारोही खंड : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22**

  यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य कानूनों और बाधाओं का उपयोग लोकतंत्र के वास्तविक शासकों को जानकारी से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है– नागरिकों, विधायिका ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 में एक गैर–अवरोधक खंड बनाया है, जो यह प्रदान करता है कि ''इस अधिनियम के प्रावधान आधिकारिक गोपनीयता

अधिनियम 1923 में और समय लागू किसी भी अन्य कानून या इस अधिनियम के अतिरिक्त पर प्रभावी किसी भी साधन में असंगत होते हुए भी प्रभावी होगा।

इसका स्पष्ट अर्थ है, कि जहाँ तक सूचना का अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का संबंध है, सूचना का अधिकार अधिनियम आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम सहित सभी कानूनों और नियमों पर लागू होगा। इसका अर्थ यह नहीं है, कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम या अन्य कृत्यों को निरस्त कर दिया गया है। जब सूचना के लिए अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर किया जाता है, तो इसे केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान छूट प्रदान करते हैं।

ख) अन्य विधियों के तहत सीमाएं/बाधाएं

- शासकीय गुप्त बात अधिनियम (OSA), 1923 के तहत सीमा/बाधा

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम प्रथम बार 1923 में अधिनियमित किया गया था और स्वतंत्रता के पश्चात् इसे अधिकार में रखा गया था। यह भारत का गुप्तचर्चा विरोधी अधिनियम है। सरकारी सेवकों और नागरिकों पर लागू होने वाला यह कानूनी जासूसी, राजद्रोह और राष्ट्र की अखंडता के लिए अन्य संभावित खतरों से निपटने के लिए ढांचा/तंत्र प्रदान करता है। कानूनी जासूसी, ''गुप्त'' जानकारी साझा करने, वर्दी का अनधिकृत उपयोग, जानकारी रोकना, प्रतिबंधित/वर्जित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के साथ हस्तक्षेप, दंडनीय अपराध बनाता है। अधिनियम की धारा 3 मूल रूप से जासूसी के लिए दंड के प्रावधानों से संबंधित है और धारा 5 का संबंध सूचना के गलत संचार से है, जो एक दंडनीय अपराध भी है। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 14 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या

दोनों हो सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 14 न्यायालय को कार्यवाही से जनता को बाहर करने की शक्ति/अधिकार प्रदान करती है।

जानकारी सरकार द्वारा अधिकृत वाले स्थान या संबद्ध स्थान, दस्तावेजों, तस्वीरों, रेखाचित्रों, मानचित्रों, योजनाओं, मॉडलों, आधिकारिक संहिता या पासवर्ड से संबंधित हो सकती है।

इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि भारत के विरूद्ध शत्रु राज्य की सहायता करने वाली कोई भी कार्रवाई दंडनीय है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी प्रतिबंधित सरकारी स्थान या क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, निरीक्षण नहीं कर सकता है, यहां तक कि पास से निकल भी नहीं सकता है। इस अधिनियम के अनुसार, शत्रु राज्य की सहायता शत्रु को एक रूपरेखा योजना, आधिकारिक रहस्य का मॉडल, या अधिकारिक कोड या पासवर्ड के संचार के रूप में हो सकती है। भारत की सुप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाली किसी भी जानकारी का खुलासा या प्रकटीकरण इस अधिनियम द्वारा दंडनीय है।

कानून के साथ एक और विवादस्पद मुद्दा यह है कि इसकी धारा 5, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित उल्लघनों से संबंधित है, की प्रायः गलत व्याख्या की जाती है। यह धारा ऐसी जानकारी साझा करना दंडनीय अपराध बनाती है, जो किसी शत्रु राज्य की सहायता कर सकती है। यह अनुभाग पत्रकारों के विरूद्ध कार्यवाही में काम आता है जब वे ऐसी जानकारी का प्रचार करते हैं, जिससे सरकार या सशस्त्र बलों को परेशानी हो सकती है।

हालांकि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में, किसी भी सरकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी को अधिकारिक सूचना माना जाता है; इसलिए इसका उपयोग

सूचना अनुरोधों की स्वतंत्रता का दमन करने के लिए किया जा सकता है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ''गुप्त'' या ''अधिकारिक रहस्य'' को परिभाषित नहीं करता है। लोक सेवक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूछे जाने पर इसे ''गुप्त'' कहकर किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर सकते हैं। OSA के तहत ''गोपनीयता'' आदर्श है और ''प्रकटीकरण'' अपवाद है, ''सूचना का अधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने पर इस प्रवृत्ति को चुनौती दी गई थी। इसने कड़ी आलोचना की है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (SARC) रिपोर्ट, 2006 ने सुझाव दिया कि अधिनियम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक अध्याय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें आवश्यक प्रावधान शामिल हो। कारण : सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद यह एक विवादास्पद मुद्दा बन गया था।

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872**

इस अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य के मामलों से संबंधित साक्ष्य, आधिकारिक रिकॉर्ड और पेशेवर संचार आम जनता के प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित हैं। इस अधिनियम की धारा 123 में कहा गया है, कि किसी को भी राज्य के मामलों से संबंधित अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड से प्राप्त कोई प्रमाण देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुमति न हो, जो ऐसी अनुमति देना या रोकना उचित समझते हों।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124, 125 और 126 विशेषाधिकार प्राप्त संचार प्रदान करती है। इस अधिनियम की धारा 124 में कहा गया है कि कोई भी लोक अधिकारी, आधिकारिक योग्यता से उससे किए गए संचार का प्रकटीकरण नहीं करेगा, यदि उसे लगता है कि लोक हित को प्रकटीकरण से हानि होगी। धारा 125 किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित न्यायाधीश, पुलिस

अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा सूचना के संचार को रोकता है। धारा 126 पेशेवर व्यक्तियों जैसे– बड़ावकील, प्रतिनिधि, वकील या उनके मुवक्किल से संबंधित व्यावसायिक संचार से संबंधित है। धारा 126 के अपवाद में कहा गया है, कि अवैध उद्देश्यों के लिए संचार प्रकटीकरण से सुरक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि सार्वजनिक या राष्ट्रीय हित की मांग है, तो कई प्रतिबंध उचित नहीं है। (The Indian Evidence Act, 1872)

- **केंद्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण) नियम और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम**

किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा सूचना का अनधिकृत संचार अत्यधिक प्रतिबंधित है। केंद्रीय सिविल सेवायें (नियंत्रण) नियम और साथ ही अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का एक ही संस्करण है। इस नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार या उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के सदभाव में प्रदर्शन के अतिरिक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी अधिकारिक दस्तावेज या उसके किसी भाग को संप्रेषित नहीं करेगा या किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को सूचना नहीं देगा, जिसे वह इस तरह के दस्तावेज या जानकारी को संप्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं है।

- **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962**

इस अधिनियम में कुछ प्रावधान भी है, जो सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाते है जैसा कि इसके अध्ययन से पाया गया है। धारा 18(1) कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाती है। इस खंड के अध्ययन में कहा गया है कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, विकास या उपयोग के

उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले मौजूदा या प्रस्तावित संयंत्र के दस्तावेज, रेखाचित्र फोटो, योजना, मॉडल से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण को या ऐसे किसी संयंत्र के संचालन को प्रतिबंधित कर सकती है। धारा में आगे कहा गया है, कि केंद्र सरकार से अधिकार लिए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा इस जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के तहत कुछ जानकारियाँ कार्यनीतिक प्रकृति की है और इसे प्रकट करने के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन इस अधिनियम की धारा 18(3) के तहत उपलब्ध अन्य सूचनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**

यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक डेटा को विनियमित करने का विचार करता है। अधिनियम का विचार है, कि किसी भी संगठन के बारे में कम्प्यूटर के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा (तथ्यों) को ठीक से अनुरक्षित और उचित रूप से सुरक्षित रखना चाहिए और उनकी सहमति के बिना इसका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है अन्यथा इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अधिनियम की धारा 72 डेटा (तथ्यों) के गोपन और गोपनीयता के उल्लघंन के लिए दंड के बारे में बताती है। इस खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉकिन रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना दस्तातेज या अन्य सामग्री को सुरक्षित और अनुरक्षित रखना चाहिए और इसे संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा आरोपी व्यक्ति को कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

बोध प्रश्न 3

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के प्रकट किए जाने से छूट से संबंधित सांविधिक प्रावधानों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और अन्य वैधानिक कानूनों द्वारा सूचना के प्रकट किए जाने पर प्रतिबंधों की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.6 मूल्यांकन

हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के तहत सूचना के अधिकार और जानने के अधिकार के संबंध में प्रावधान है, जो समय–समय पर बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कई कानून हैं, जहाँ सूचना के अधिकार और लोक नीति के प्रकटीकरण की व्याख्या की गई है। भारत के अन्य विधानों में संवैधानिक प्रावधानों और प्रबंधों के बावजूद, 2005 में एक अलग सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था, क्योंकि संविधान और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 सहित अन्य कानूनों के तहत मौजूद प्रावधान, सरकारी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही को न्यायोचित ठहराने में बहुत प्रभावशाली नहीं थे। हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 की तुलना में कहीं बेहतर और स्पष्ट है क्योंकि कई प्रतिबंध थे और प्रावधान अस्पष्ट थे। हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में भी धारा 8 के तहत प्रतिबंध है, लेकिन ये सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 की तुलना में जटिलता में कम और संख्या में अधिक हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 सूचना के अधिकार के लिए छूट से संबंधित है। हाल के दिनों में कई मामलों में 2005 के अधिनियम द्वारा सरकार में सार्वजनिक धन के गबन, दुरूपयोग और लापरवाह उपयोग को प्रकाश में लाया गया है। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी सार्वजनिक व्यवहारों में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी भी अन्य कानून की तरह, सूचना का अधिकार अधिनियम भी दुरूपयोग की आलोचना से मुक्त नहीं है। हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरूपयोग और सूचना

का अधिकार प्रश्नों का उत्तर देने में अधिकारियों के समय की बर्बादी के कुछ उदाहरणों के विरूद्ध, ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे जहाँ लोक अधिकारियों द्वारा बिना किसी उचित कारण के सूचना को रोक दिया जाता है। सूचना का अधिकार अधिक सावधानीपूर्वक व्यवहार करने के लिए बाध्य है। यह अधिक सावधानीपूर्वक उपयोग और धन के आवेदन के बारे में लाने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लोगों को जनता के समय और पैसे के गलत उपयोग के लिए जवाबदेह ठहराने में भी सहायता करेगी।

1.7 निष्कर्ष

यह विशेष इकाई सूचना के अधिकार की उत्पत्ति और अवधारणा पर प्रकाश डालती है। यह ''सूचना'' शब्द व्युत्पत्ति पर चर्चा और विश्लेषण करती है। यह सूचना की अवधारणा, सूचना की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के विकास और उद्‌भव का विश्लेषण भी करती है। ''सूचना'' ऐसी वस्तु के रूप में जानी जाती है, जो विचारों में अस्पष्टता को दूर करती है और हमारी जागरूकता में कुछ नया जोड़ती है। 1946 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को अपनाया कि ''सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है। यूएस उच्चतम न्यायालय ने सूचना तक पहुँच के अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान में पहले संशोधन की व्याख्या की। सूचना के सबसे पुराने स्वतंत्रता कानून को प्रेस अधिनियम की स्वीडिश स्वतंत्रता कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में, सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित ''बोलने/वाक् और अभिव्यक्ति का एक पहलू है''। सूचना का अधिकार निर्विवाद रूप से एक मौलिक अधिकार है। यह इकाई आगे सेवाओं के प्रावधानों में कमियों का पता लगाने के लिए पूर्ण और अपूर्ण कार्यों की जानकारी प्राप्त करके सरकारी संगठनों और उसके उपकरणों की सामाजिक लेखा परीक्षा करने के

लिए नागरिकों को सशक्त बनाने में सूचना के अधिकार की भूमिका का विश्लेषण करती है। सूचना तक पहुँच को प्रायः और उचित रूप से, ''एक लोकतांत्रिक समाज के लिए ऑक्सीजन'' कहा जाता है। पर्याप्त और सटीक जानकारी का अभाव अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त कर सकता है, सरकारों को अपंग कर सकता है और समाज को शक्तिहीन बना सकता है। इसलिए सूचना एक सच्ची लोकतांत्रिक सरकार के पारदर्शी और जवाबदेह कामकाज के लिए अपरिहार्य है। यह दुर्व्यवहार, कुप्रबंधन और भ्रष्ट प्रथाओं के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ प्रतिबंध हैं, जो जनता के लिए जानकारी का खुलासा करने पर लगाए जाते हैं लेकिन ये प्रतिबंध हमेशा लोक हित या देश के राष्ट्रीय हित में होते है। सक्रिय प्रकटीकरण के संबंध में लोक प्राधिकरण की विवेकाधीन शक्ति कुछ सीमाओं के अधीन है। सूचना का अधिकार मौलिक और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के उचित कामकाज में एक आवश्यक घटक का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकारयह सूचना का अधिकार अन्य मानव और नागरिक अधिकारों के प्रयोग के लिए एक आवश्यक शर्त है।

1.8 शब्दावली

गैर प्रकटीकरण खंड (Non-Disclosure) : यह एक गोपनीयता का खंड है, जो गोपनीय जानकारी को साझा करने पर रोक लगाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में वह जानकारी दी गई है, जिसे लोक प्राधिकारियों द्वारा स्वतः सक्रिय आधार पर प्रकट किया जाना चाहिए। धारा 4(2) और धारा 4(3) इस तरह की सूचना के प्रसार की विधि निर्धारित करता है। धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण का उद्देश्य लोक

प्राधिकरणों के कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने और व्यक्तिगत सूचना का अधिकार आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता को कम करने के लिए भी सक्रिय आधार पर अधिक मात्रा में जानकारी को लोक क्षेत्र में रखना है।

अध्यारोही खंड (Non-obstant Clause) : यह एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है, ''कुछ भी निहित होने के बावजूद''। इसका अर्थ यह है कि यह खंड कानून या किसी प्रावधान को उसी कानून या किसी अन्य कानून के तहत इसके विपरीत किसी भी अन्य कानूनी प्रावधानों के प्रभावों को रद्द करने का अधिकार देता है।

सामाजिक लेखा–परीक्षा (Social Audit) : इस अवधारणा का आरंभ 1972 में चार्ल्स मेडावर ने किया था। सामाजिक लेखा परीक्षा एक संगठन के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन को मापने, समझने, रिपोर्ट करने और अंततः सुधारने का एक उपाय है। एक सामाजिक लेखा परीक्षा दृष्टि/लक्ष्य और वास्तविकता के बीच दक्षता और प्रभावशीलता के बीच अंतर को कम करने में सहायता करता है।

सरकारी योजनाओं के संदर्भमें, सामाजिक लेखा परीक्षा, एक जवाबदेही उपकरण है, जो सेवा वितरण में अंतराल को मापता है, मूल्यांकन करता है, पहचानता है और इस प्रक्रिया में लक्षित लाभार्थियों

की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ इन अंतरालों को दूर करने का वादा करता है। इस प्रकार सामाजिक लेखा परीक्षा सामाजिक प्रभाव की जाँच और मूल्यांकन करती है। विशिष्ट कार्यक्रमों और नीतियों को अप्रैल, 2017 में, मेघालय, सामाजिक लेखा परीक्षा कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।

सामाजिक परिवर्तन (Social Change) : यह एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें एक ओर विकास, प्रगति, परिवर्तन और दूसरी ओर विकास, आधुनिकीकरण और क्रांति का अर्थ शामिल है। इसका शाब्दिक अर्थ ''परिवर्तनशील रूप'' या ''उपस्थिति'' या ''चरित्र'' है। जब बड़े पैमाने पर, संरचनात्मक या दूरगामी सामाजिक परिवर्तन होता है, तो इसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। नया सामाजिक आंदोलन इसे सुगम बनाता है और इससे शक्ति का नया रूप निकलता है।

केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) (आचरण) नियम (CS Conduct Rules) : केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 को लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता निर्धारित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 309 के नियम द्वारा प्रदत शक्तियों और अनुच्छेद 148 के खंड (5) का प्रयोग

करते हुए और इस संबंध में नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श के बाद भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के लिए, राष्ट्रपति इसके द्वारा नियम बनाते हैं। सरकारी कर्मचारियों पर विभिन्न प्रतिबंध आरोपित करता है।

1.9 संदर्भ लेख

Agarwal, U.C. (2009). The Official Secret Act to the Right to Information Act Dawn of "Glasnost".*The Indian Journal of Public Administration*. 55(3), 336-345.

Aroopagitia, J.M. (2009).The Right to Information and the Role of Media.*All India Reporter*. 30, 30-32.

Awasthi, S. K. (2008). *The Right to Information Act, 2005*. Allahabad, India: Dwivedi Law Agency.

Bakshi, P. M. (2003). *The Constitution of India*. Delhi, India: Universal Law Publications.

Barlow, J.P. (1994). The Economy of Ideas. Retrieved from https://www.wired.com/1994/03/economy-ideas/

Barowalia, J.N. (2006). *Commentary on the Right to Information Act, 2005*. Delhi, India: Universal Law Publishing.

Basu, D.D. (2008). *Introduction to the Constitution of India*. Nagpur, India: Lexis Nexus Butter Worth.

Bhat, I.P. (2009). *Law and Social Transformation in India*.Lucknow, India: Eastern Book Company.

Das, P.K. (2005). *The Right to Information Act, 2005*. Delhi, India: Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd.

Emerson, T.I. (1976). Legal foundations of the Right to Know. Retrieved from https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2625&context=law_lawreview

Finnis, J. (2011). *Natural Law and Natural Rights* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

Goel, S.L. (2007). *Right to Information and Good Governance.*New Delhi, India: Deep & Deep Publications Pvt. Limited.

Iyer, V.R.K. (1990). *Freedom of Information*.Lucknow, India: Eastern Book Co.

Jefferson, T. (1785).Thomas Jefferson to James Monroe. Retrieved from https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-08-02-0174

Jefferson, T. (1820).Thomas Jefferson to William Short. Retrieved from https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/98-01-02-1438

Jogarao, S.V.(2011). *Law Relating to Right to Information: A Comprehensive and Insightful Commentary with Comparative Perspectives*. New Delhi, India: Pentagon Press.

Joshi, A.S. & Gupta, A.D. (2001).*Your Right to Information*. New Delhi, India: Commonwealth Human Rights Initiative.

Krammer, M.H., Simmonds, N. & Steiner, H. (2000).*Debate over Rights*.Oxford University Press.

Kumar, G.S. (2009). The Right to information in India - A Study.*Supreme Court Journal.18,* 17-25.

Lovina B, T. (2020). Right To Information Act, 2005: All You Need To Know. Retrieved fromhttps://www.livelaw.in/know-the-law/right-to-information-act-2005-all-you-need-to-know-159485?infinitescroll

Mahajan, G. (ed.) (2000). *Democracy Difference and Social Justice*. New Delhi, India: Oxford University Press.

Mahajan, V.D. (2016). *Jurisprudence and Legal Theory*.Lucknow, India: Eastern Book Co.

Mathew, K.K. (1979).The Nature and Scope of the Right to Know in a Democratic Republic.*3 S.C.C. (Journal)*. 19.

Megha, J. (2021). Overreaching Act. Retrieved from https://www.livelaw.in/columns/right-to-information-act-rti-transparency-article-19-constitution-169166?infinitescroll=1

Morris, C. (ed.) (1971). *The Great Legal Philosopher*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Pal, R. (2009).Information and Fundamental Rights.*Supreme Court Cases Weekly*. 10(4), 49-59.

Rai, U. R. (2011).*Fundamental Rights and Their Enforcement*. New Delhi, India: PHI Learning Pvt. Ltd.

Ryder, R.D. (2006). *Right to Information: Law-Policy Practice*. Nagpur, India: LexisNexis Butterworths

Saxena, A. (2004). *Right to Information and Freedom of Press*. New Delhi, India: Kanishka Publishers & Distributors.

Sharma, S.&Gopal, K. (2006).*Right to Information: Implementing Information Regime*. New Delhi, India: Authorspress.

Shukla, V.N. (2013). *Constitution of India*.Lucknow, India: Eastern Book Co.

Sudhir, N. (2011). *Right to Information Act, 2005*. Mumbai, India: Oxford University Press.

The Right to Information Act, 2005. Retrieved from https://rti.gov.in/rti-act.pdf

The Indian Evidence Act, 1872.(n.d.). Retrieved from https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1872-01.pdf

Toffler, A. (1981). *The Third Wave*. New York: Bantam Books.

1.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

- 1946 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह कहते हुए प्रस्ताव अपनाया, ''सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है। यू एस उच्चतम न्यायालय ने सूचना के उपयोग के अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान में प्रथम संशोधन की व्याख्या की। सूचना के सबसे पुराने स्वतंत्रता कानून को प्रेस अधिनियम की स्वीडिश स्वतंत्रता कहा जाता है। विवरण के लिए इकाई का भाग 1.2 का अध्ययन कीजिए।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

- सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित ''भाषण और अभिव्यक्ति का एक पहलू'' है। सूचना का अधिकार निर्विवाद रूप से मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) पर विवरण के लिए संविधान की कोई भी पुस्तक का अध्ययन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रस्तावना पढ़ें और अधिक जानकारी के लिए इकाई के भाग 1.2 का अध्ययन कीजिए।

3) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

- 'सूचना' शब्द का अर्थ लिखिए और यह कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है बोलने, लिखने, छापने या प्रकाशित करने की स्वतंत्रता जबकि सूचना की स्वतंत्रता का अर्थ है जानकारी प्राप्त

करने के लिए लोगों की क्षमता। विस्तार के लिए भाग 1.3 का अध्ययन कीजिए और संविधान पर किसी भी किताब का अध्ययन कीजिए।

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- निष्पादित और वादा किए गए कार्यों के बीच अंतराल की जाँच करके सरकारी संगठनों का सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए एक उपकरण के रूप में सूचना के अधिकार का विश्लेषण किया जाता है। यह राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न संस्थानों में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरूपयोग के मामलों को भी सामने लाता है। इकाई के भाग 1.4 का अध्ययन कीजिए।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- सूचना का अधिकार द्वारा सत्ता और धन के दुरूपयोग के कई मामलों को उजागर किया गया है और दोषियों को गिरफ्तार किया गया है सफलता की कहानियों के संदर्भ में इकाइ के खंड 1.4 को पढ़िये। आप खंड 4 की अन्य प्रासंगिक इकाई से भी परामर्श ले सकते हैं।

बोध प्रश्न 3

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- सूचना के अधिकार के गैर–प्रकटीकरण खंड के लिए और गैर बाध्य खंड के लिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को अधिभावी प्रभाव देता है, के लिए इकाई की धारा 1.5(क) का अध्ययन कीजिए

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3,5 और 14 का अध्ययन कीजिए, जो सूचना के प्रकटीकरण पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। इसके अतिरिक्त सूचना के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने वाले अन्य वैधानिक प्रावधानों को संदभित करने के लिए इकाई की धारा 1.5(ख) का अध्ययन कीजिए।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY